# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

**रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर**

**GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3**

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/वाहन/2024–25/204 दिनांकः 26/06/2024

## निविदा सूचना

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर कार्यालय द्वारा निम्नानुसार जब आवश्यकता हो (As when as required), के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए दर संविदा (Rate Contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :–

| क्र.सं. | सामग्री | अनुमानित मूल्य (रू.) | बोली प्रतिभूति (Bid security) (रू.) | निविदा शुल्क (रू.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जब आवश्यकता हो (As when as requried), के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए | 5,00,000.00 | 10,000.00 | 590.00 (With 18% GST) |

निविदा प्रपत्र सीधे ही निगम की वेब साईट http://rmsc.health.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि रू. 590/– (With 18% GST) एवं बोली प्रतिभूति राशि रू. 10000/– का डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 08.07.2024 को ही अपराह्न 3.00 बजे तक जमा कराए जा सकते है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा उपस्थित निविदादाताओ/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 09.07.2024 को सायं 4.00 बजे खोली जाएगी।

**विशेषाधिकारी, आरएमएससी**

Signature valid
Digitally signed by R... ndra Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2024.0... :29:24 IST
Reason: Appro...

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

**GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3**

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/वाहन/2024–25/204 दिनांकः 26/06/2024

**अनुमानित लागत ` 5.00 लाख** **अंतिम तिथि– 08.07.2024 समयः– 3.00 PM**

**निविदा प्रपत्र शुल्क ` 590/–**(With 18% GST)

**बोली प्रतिभूति** (Bid security) **` 10,000/–**
**के रूप में घोषणा पत्र**

## तकनीकी निविदा प्रपत्र

**जब आवश्यकता हो (As when as requried), के आधार पर वाहन उपलब्ध करवाने के लिए दर संविदा हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र**

1. बोली दाता का नाम व डाक पता मो. एवं ई मेल सहित
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................

2. किसको संबोधित किया गयाः– प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
3. बोली शुल्क की राशि रुपये 590/– डीडी/बैंकर चैक संख्या...................... दिनांक .................... के द्वारा जमा करा दी गयी है। बोली प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की स्थिति में निर्धारित शुल्क का डी.डी./बैंक चैक सं. ..................... दिनांक ........................ बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है।
4. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
5. बोली सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा बोली–प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। बोली सूचना एवम् बोली–प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में मैंने/हमने बोली सूचना एवम् बोली–प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
6. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न प्राईज–शिड्यूल/वित्तीय बोली प्रपत्र में कार्य की दरें अंकित कर दी गई हैं, जो कि 90 दिन तक प्रभावी होंगी।
7. **वाहन के किराये की दरें अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।**
8. "तकनीकी बोली" एवं "वित्तीय बोली" अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से " **Rajasthan Medicla Services Corporation Ltd. के लिए वाहन** किराये पर **उपलब्ध करवाने हेतु** वित्तिय बोली या तकनीकी बोली" अंकित होनी चाहिए। तकनीकी मापदण्डों में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तिय बोली खोली जावेगी। वित्तीय बोली खोलने के समय से विभाग द्वारा बोलीदाताको पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।
9. "तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली" के लिफाफे पर बोलीदाताद्वारा अपना पूरा स्पष्ट पता एवं फोन/मोबाईल नम्बर आवश्यक लिखा जाना चाहिए।
10. "वित्तीय बोली" के लिफाफे में मात्र "वित्तीय दरें" ही डाली जायेगी। इसके अतिरिक्त समस्त दस्तावेज इत्यादि तकनीकी बोली के लिफाफे में रखे जाने चाहिए।
11. बोलीदाताद्वारा विभाग से कार्यादेश जारी ... संविदा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
12. बोली प्रतिभूति (Bid Security) की राशि रूपये 10000/– के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ................................ दिनांक .................. (बैंक का नाम

Signature valid
Digitally signed by R... ndra Singh
Designation: Exe... Director
Rajkaj Ref No. 8319969
Date: 2024.0..25 ..:29:24 IST
Reason: Appro...

.......................................................................................................) "तकनीकी बोली" के साथ संलग्न है।

13. "तकनीकी बोली" के साथ तकनीकी योग्यताओं में वाछिंत समस्त पत्र/प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा इसके अभाव में तकनीकी बोली रद्द कर दी जावेगी तथा वित्तीय बोली पर भी विचार नहीं किया जावेगा।

14. यदि किसी बोलीदाताद्वारा तकनीकी बोली के लिफाफे में वित्तीय बोली भी डाल दी जायेगी तो उस बोलीदाताकी दोनों बोलीयां रद्द कर दी जायेगी।

15. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तों (**परिशिष्ट–'I' & 'II'**) को समझ लिया गया है। शर्तें स्वीकार है, एवं उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

16. बोली दाता के बैंक अकाउन्ट का विवरण :–

    1. बैंक का नाम/शाखा : ..............................................................
    2. अकाउन्ट नम्बर : ..........................................IFSC Code ..............................
    3. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि : संलग्न है।

17. वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र, टैक्सी परमिट, बीमा प्रमाण–पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र, वाहन चालक का लाईसेंस की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए।

18. वाहन का टैक्सी परमिट वैध होना चाहिए एवं वाहन बोली जारी होने की तिथि से 05 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए।

19. Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2013 प्रावधानों के तहत इस बोली के साथ संलग्न परिश्ष्ठि I से VII तक बोलीदाताद्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

20. बोली राशि के बिना बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

21. बोली मोहर बन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से RMSCL में वाहन उपलब्ध कराने के लिए बोली लिखा होगा। बोली उक्त कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्भलायी जाकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी या रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जायेगी।

22. उपापन अधिकारी न्यूनतम दर वाली संविदा को अथवा समस्त बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी।

23. फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) अथवा (2021–2022, 2022–23 एवं 2023–24) का औसत टर्न ऑवर ` 5.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से परिशिष्ट–VI में संलग्न करे।

24. नियत समय व तारीख के बाद जो भी बोली प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

25. यह बोली Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2012 एवम् Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2013 के तहत निहित प्रावधानों के क्रम में जारी की गई है। बोली दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा अथवा नियमों 2013/अधिनियम 2012 के नियमानुसार नहीं होने पर, अधिनियम/नियमों में अंकित प्रावधान मान्य होंगे।

**बोलीदाताके हस्ताक्षर**

नाम......................................................

फर्म का नाम व पता मय मोहर

मोबाईल नं. .....................................

Signature valid

Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:29:24 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Re[illegible]
83199[illegible]

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

**रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर**

**GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3**

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in


क्रमांक : एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/वाहन/2024–25/ दिनांकः

**तकनीकी बोली**

**परिशिष्ट –II**

## बोली प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सामान्य शर्तें

1. बोलियाँ (तकनीकी/वित्तीय) दो पृथक–पृथक लिफाफों मे बंद कर प्रस्तुत करनी होंगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी बोली का होगा, जिसमें बोलीदाताद्वारा हस्ताक्षरयुक्त बोली प्रपत्र, संलग्न परिशिष्टों में वर्णित तकनीकी बोली सम्बन्धी प्रपत्र होंगे। द्वितीय लिफाफा वित्तीय बोली का होगा। जिसमे बोलीदाताद्वारा उपरोक्त कार्य हेतु दरें बिड डाक्यूमेन्ट के संलग्न **"प्राईस–शिड्यूल"** में अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफे पर **"तकनीकी बिड बाबत् किराये के वाहन व्यवस्था "** अंकित हो एवं द्वितीय लिफाफा जिस पर **"वित्तीय बिड–बाबत् किराये के वाहन व्यवस्था "** अंकित हो, प्रस्तुत करना होगा। उक्त दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे पर **"किराये पर वाहन हेतु बोली"** अंकित होना चाहिए।
2. बोलियां निर्धारित प्रपत्र, जो कि विभाग से जारी किया गया है अथवा SPPP Portal से डाउनलोड किया गया हो, पर ही प्रस्तुत की जानी हैं। बोली के सभी प्रपत्र व अनुंलग्नक पर बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर आवश्यक रूप से होने चाहिए। साथ ही बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रपत्र एवं संलग्नको पर नम्बर अंकित करने होगें तथा इस बिड डाक्यूमेन्ट मे संलग्न Check List में संलग्न दस्तावेजों की पेज संख्या अंकित करनी होगी।
3. बोलियॉ लिफाफे मे बंद कर निर्धारित तिथि एवं समय तक विभाग मे प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को कार्य सबलेट नहीं किया जावेगा।
5. सशर्त बोलियां स्वीकार्य नहीं होंगी।
6. बोलीदाताको इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्टों पर भी अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
7. बोली के साथ बोलीदाताको बोली प्रतिभूति (Bid Security) प्रति वाहन राशि रुपये 10000/– की दर से बैंकर चैक से जमा कराई जानी चाहिये, इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. बोली प्रपत्र (बोली दस्तावेज) बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा भुगतान देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
9. बोली प्रतिभूति (Bid Security) का समायोजन कार्य–सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप मे किया जा सकेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य–सम्पादन प्रतिभूति अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जायेगी, इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. (1) **करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–**

    (i) सफल बोलीदाताको बोली स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने से ***7 दिन*** की अवधि के भीतर एक करार पत्र (Agreement) प्रस्तुत करना होगा। यह करार पत्र (Agreement) राशि रूपये 500/– का हो के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादि[illegible] स्वीकार की गयी हैं, उनके वार्षिक मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कर[illegible]गी।

    (ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति [illegible] की राशि के लिए समायोजित की जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्र[illegible]राशि से कम नहीं होगी।

    (iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।


Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Executive Director
Reason: Appro[illegible]

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक से जमा कराई जाएगी।

(2) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण :–** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा:–

(i) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ii) जब बोलीदातासम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उपापन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जो बोली दाता का मान्य होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाताद्वारा किया जाएगा तथा विभाग द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) बोलीदाताको निःशुल्क दी जाएगी।

11. अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेंगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार्य नही होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध मे राज. उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29(2–ज) प्रभावी होगा।

12. विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बंध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नही दिया जायेगा।

13. बोलीदाता किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 के section-83 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder (Annexure-III) जिसे यह प्रतीत होता है कि इस BID का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह **प्रथम अपील अधिकारी "विशेषाधिकारी, आरएमएससी, राजस्थान जयपुर** के समक्ष नियमानुसार अपील कर सकता है, साथ ही समान उद्‌देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार **द्वितीय अपील अधिकारी "प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान"** जयपुर है।

15. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 में वर्णित प्रावधान एवं समय–समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य होंगे।

16. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

17. सफल बोलीदाता को विभाग द्वारा कार्यादेश जारी किया जायेगा उसे सेवा के दौरान प्रतिमाह सेवा का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय प्रत्येक बिल के साथ यह प्रमाण–पत्र अंकित करना होगा कि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू किसी भी कानून/नियम के तहत कोई कर/शुल्क/पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का भुगतान देय है तो कर दिया गया है। और कोई शेष नहीं है।

मुझे/हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार है।

Signature valid

Digitally signed by R... ndra Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2024.0... 29:24 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref
8319969

**तकनीकी बोली**
**परिशिष्ट –III**

<u>**किराये पर वाहन लेने हेतु दर–संविदा से सम्बंधित विशेष शर्तें**</u>

1. **वाहन को सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर कहीं भी काम में लिया जा सकेगा।**

2. वाहन आर.टी.ओ. से वाणिज्यिक पंजीकृत (टैक्सी के रूप में), पूर्ण बीमित, चालू एवं अच्छी स्थिति में होना चाहिए एवं बोली सूचना जारी होने की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।

3. वाहन एवं वाहन चालक के सम्बंध में किसी भी प्रकार के कानूनी एवं वित्तीय दायित्व जैसे– लाईसेन्स, समस्त प्रकार के कर आदि जमा कराना, आवश्यक परमिट, फिटनेस एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र प्राप्त करना, बीमा कराना, अन्य कानूनी दायित्वों की पालना करना आदि समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

4. उक्त वाहन केवल बोर्ड के राजकीय कार्यो के लिए किराये पर लिया जा रहा है, अतः राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बोर्ड के गठन को निरस्त किया जाता है तो बोर्ड के निरस्त होने की तिथि से किराये के वाहन का भी अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।

5. वाहन का किराया न्यूनतम 250 किमी प्रतिदिवस होगा तथा इससे अधिक वाहन चलने पर वास्तविक किलोमीटर के अनुसार देय होगा। साथ **टोल–टेक्स, पार्किंग शुल्क, रात्रि विश्राम भत्ता का भुगतान अलग से किया जाएगा साथ ही रात्रि विश्राम भत्ता मध्य रात्रि के पश्चात अर्थात 12 PM के बाद मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में ही देय होगा।**

6. बोलीदाता को अनुबंधित वाहन पर एक प्लेट लगानी होगी जिस पर "ON GOVERNMENT DUTY" लिखा हुआ होना चाहिये। यह प्लेट इस प्रकार से लगाई जानी होगी कि जब वाहन सरकारी ड्यूटी पर नहीं हो तब उसे हटाया जा सके एवं प्रभारी अधिकारी की सुरक्षा में रखी जा सके।

7. वाहन चालक को वैध ड्राईविंग लाईसेंस सदैव साथ रखना होगा, निर्धारित साफ–सुथरी यूनीफॉर्म में रहना होगा, वाहन को भी साफ–सुथरा रखना होगा तथा वाहन चालक को वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के साथ शालीनता से पेश आना होगा।

8. वाहन का प्रयोग अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।

9. विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यदि संविदा वाहन/वाहन मालिक की सेवाऐं असंतोषजनक पाई गई तो तुरन्त प्रभाव से बिना कोई नोटिस दिये वाहन का अनुबन्ध विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बंध में द्वितीय पक्ष को विभाग द्वारा किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नही दिया जायेगा।

10. अनुबन्ध समाप्ति से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अनुबन्ध समाप्त करने के लिए सेवाप्रदाता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।

11. **वाहन का प्रयोग सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर कहीं भी किया [illegible] सकेगा।** संवेदक द्वारा जयपुर अथवा जयपुर से बाहर की यात्रा [illegible] की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी/वाहन उपयोगक[illegible] [illegible] लाकर टैक्सी के बिल का भुगतान संवेदक से वसूली की जा[illegible]

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
RajKaj Ref [illegible]
Date: 2024.0[illegible]
Reason: Appro[illegible]

12. अनुमोदित बोलीदाता द्वारा विभाग की मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा अनुमोदित बोलीदाता को पहले से सूचित कर दिया जायेगा।

13. यदि यात्रा के दौरान अनुबंधित वाहन रास्ते में खराब हो गया तो अनुमोदित बोलीदाता द्वारा उसी समय स्वयं की लागत पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। यात्रा के दौरान वाहन चालक को समस्त वांछित मूल दस्तावेज जैसे– ड्राईविंग लाईसेंस, पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र, यात्रा का परमिट एवं मेडिकल किट आदि साथ में रखने होंगे।

14. पैट्रोल, ऑयल एवं ल्यूब्रीकेंट (POL) तथा संचालन एवं संधारण से सम्बंधित समस्त व्यय अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

15. अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वाहन प्रदायगी का बिल तीन प्रतियों में प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित बोलीदाता शीट के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

16. अनुबंधित वाहन से सम्बंधित दुर्घटना–दावा अथवा दुर्घटना से सम्बंधित समस्त प्रकार के दावों का निपटारा अनुमोदित बोलीदाता द्वारा किया जायेगा एवं बोलीदाता स्वय इसके लिए उत्तरदायी होगा।

**17. बोलीदाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी, इस अवधि को विभाग एवं बोलीदाता की परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।**

18. वाहन चालक के पास निर्धारित ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक होगा।

19. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम आदि की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व बेलीदाताका होगा।

20. विभाग के वाहन प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन वाहन चालक को करना होगा।

21. विवाद की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

22. इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्र "जयपुर" होगा।

मुझे/हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
एवं पूर्ण पता तथा
फोन/मोबाईल नम्बर

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible].29:24 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref
8319969

तकनीकी बोली
परिशिष्ट –III

➢ **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

**1 अपील:–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'र')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

Signature valid
Digitally signed by R... ndra Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2024.0... 29:24 IST
Reason: Appro...
RajKaj Ref
8319969

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के [illegible] हितों [illegible] संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के [illegible] प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर [illegible] डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by [illegible]ndra Singh
Date: 2024.0[illegible]:29:24 IST
Reason: Appro[illegible]

**2. अपील का प्ररूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'र')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

**3. अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

**4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

Signature valid
बोलीदाता के हस्ताक्षर
Digitally signed by R...ndra Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2024.0...:29:24 IST
Reason: Appro...
RajKaj Ref
8319963

प्रपत्र – र

*FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]*

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

**Appeal No.............. of...............**

**Before the........................... (First/Second Appellate Authority)**

**1. Particulars of appellant:**

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent (S):**

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Ground of appeal:**

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................... (Supported by an affidavit)

**7. Prayer:**

.......................................................................................................

.......................................................................................................

**Place........................ Date:**

**Appellant's Signature**

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Signature valid

Digitally signed by R... ndra Singh
Designation : Exec... e Director
Date: 2024.0... 5 ... :29:24 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref
831996

तकनीकी बोली
परिशिष्ट –IV

**Rajasthand Medical Services Corporation Ltd., Jaipur के लिए किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने बाबत्।**

**<u>अहर्ता एवं मूल्यांकन कसौटी (Qualification and Evaluation Criteria)</u>**

1.बोलीदाता को विभिन्न राजकीय विभागों/उपक्रमों में किये गये कार्य के दौरान कभी भी Black Listed/Defaulter नहीं किया गया हो।

2.बोलीदाता के पास पर्याप्त साधन एवं योग्य/अनुभवी वाहन चालक होने चाहिए।

3.परिशिष्ट–III में वर्णित तकनीकी योग्यताऐं रखता हो।

4.बोलीदाता समस्त सामान्य शर्तो की पूर्ति करता हो।

5.सभी दरों को सुपाठ्य एवं स्पष्ट रुप से भरा जाना चाहिए, उपरिलेखन एवं कांट–छांट पर स्पष्ट हस्ताक्षर बोलीदाता द्वारा होने चाहिए, दरें स्पष्ट अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए।

**बोलीदाताके हस्ताक्षर**

नामः————————————

पताः————————————

————————————

मोबाईल/दूरभाष————————

Signature valid
Digitally signed by R...ndra Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2024.0...5 ...:29:24 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref
8319969

परिशिष्ट–V

**(50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर नोटेरी से सत्यापित)**

**<u>घोषणा पत्र</u>**

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि वास्तव में मेरे/हमारे द्वारा बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**
**नाम मय सील**

Signature valid
Digitally signed by [illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:29:24 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref
8319968

परिशिष्ट–VI

## वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ........................................................ का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C, Receipts payment (Income & Expanditure A/C) की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न है।

| **क्र.सं.** | **वित्तीय वर्ष** | **टर्न ओवर (राशि ` लाखों में)** |
|---|---|---|
| **1ए** | 2020–21 | |
| 2ए | 2021–22 | |
| 3ए | 2022–23 | |
| | **कुल टर्न ओवर** | |
| | **औसत टर्न ओवर** | |

**अथवा**

| **क्र.सं.** | **वित्तीय वर्ष** | **टर्न ओवर (राशि ` लाखों में)** |
|---|---|---|
| **1ए** | 2021–22 | |
| 2ए | 2022–23 | |
| 3ए | 2023–24 | |
| | **कुल टर्न ओवर** | |
| | **औसत टर्न ओवर** | |

दिनांक :

**अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का**
**नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या**

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]5 [illegible]:29:24 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref
8319968

**वित्तीय बोली**
**परिशिष्ट –VIII**

**Rajasthand Medical Services Corporation Ltd., Jaipur के लिए किराये पर वाहन ।**
**प्राईस शिड्यूल (Price Sehedule) वित्तीय बिड**

| क्र. सं. | वाहन का प्रकार | बैसिक दर प्रति किमी | GST राशि | कुल राशि (3+4) | रात्रि विश्राम भत्ता | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ईनोवा क्रिस्ट | | | | | |
| 2 | डीजायर/ ईटीओस समकक्ष | | | | | |
| 3 | बोलेरो 7 सीटर | | | | | |

**नोट :–**

1. किराये के वाहन के लिए उपरोक्त दरे एक वर्ष के लिए फिक्स रहेगी। किराये की राशि के अलावा **विभाग द्वारा अन्य भुगतान यथाः टोल–टेक्स, पार्किंग शुल्क अलग से देय होगा। तथा रात्रि विश्राम भत्ता भी दर्शाये।**
2. **न्यूनतम बोली का चयन प्रति किमी एवं रात्रि विश्राम की दरे से किया जायेगा तथा न्यूनतम बोली दाता को ही सक्षम अनुमोदन उपरान्त कार्यादेश जारी किया जायेगा।**
3. कार्यालय द्वारा टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार की जाकर शेष भुगतान बोलीदाता के बैंक खाते में ही देय होगा।
4. बोली के साथ संलग्न शर्तो एवं कार्य के विवरण को मेरे द्वारा पढ़ एवं पूर्णतयः समझ लिया गया है तथा मैं/हम उपरोक्तानुसार दरों पर कार्य करने हेतु सहमत है/हैं।

**बोलीदाताके हस्ताक्षर**
नाम :————————
फर्म का नाम व पता एवं मोहर
————————

Signature valid
Digitally signed by R... ndra Singh
Designation : Exec... e Director
Date: 2024.0... 5 ... .29:24 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref
8319969